प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 85035 /वि0क0/यो0/आवंटन/2013-14, लखनऊ दिनांकः 3/3 फरवरी, 2014.

विषयः- <u>वित्तीय वर्ष 2013-14 में द्वितीय छः माह के लिये अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता के लिए वित्तीय स्वीकृति।</u>

महोदय,

शासनादेश संख्या- 79/26-ब0प्र0-2014- 34(बजट)/2012 टीसी, दिनांक 13 फरवरी, 2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिमअंग/सहायक उपकरण योजना में द्वितीय छः माह के लिये आबंटन आदेश सं0-027-0301-पी., दिनांक 25.02.2014 (संलग्नक-1) में दिये गये जनपदवार आवंटन के अनुसार कुल रु0 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ आपके निवर्तन पर रखी जाती है तथा संलग्नक-2 के अनुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं :-

1- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
2- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।
5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।
6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय उपरोक्त आबंटन आदेश सं0-027-0301-पी., दिनांक 25.02.2014 में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
7- उक्त आवंटन निदेशालय के सम्यक अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0 80 पर अंकित हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः

<u>प्रतिलिपिः-</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकादारी (प्रथम)/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विकलांग कल्याण अनुभाग-2
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, विकलांग कल्याण/समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित अधिकारी, मुख्यालय।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9. नियोजन अनुभाग-3

(डा0 ए0के0 वर्मा)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।